रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

Steno/PA

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 502] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 8, 2005/अग्रहायण 17, 1927

No. 502] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 8, 2005/AGRAHAYANA 17, 1927

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(कार्मिक शाखा—तृतीय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2005

सा.का.नि. 712(अ).—दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली विकास (विविध) नियम, 1959 के नियम (4) के साथ पठित दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से दि.वि.प्रा. में आशुलिपिक, वरिष्ठ, आशुलिपिक, निम्न श्रेणी लिपिक एवं टंकक (हिन्दी/अंग्रेजी), उच्च श्रेणी लिपिक, सहायक, कल्याण/कार्मिक निरीक्षक, प्रबंधक (खेल), सहायक प्रबंधक (खेल), खेल पर्यवेक्षक एवं खेल परिचर के पदों के भर्ती विनियमों में संशोधन करता है, जो कि अधिसूचना संख्या 412 दिनांक 23-9-2005 के द्वारा अधिसूचित किए गए थे। संशोधित भर्ती विनियम निम्नानुसार हैं :—

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रवर्तन:-**

(i) इन विनियमों को जैसाकि नीचे अनुसूची में दिया गया है, आशुलिपिक, वरिष्ठ आशुलिपिक, निम्न श्रेणी लिपिक/टंकक (हिन्दी/अंग्रेजी), उच्च श्रेणी लिपिक, सहायक, कल्याण/कार्मिक निरीक्षक, प्रबंधक (खेल), सहायक प्रबंधक (खेल), खेल पर्यवेक्षक एवं खेल परिचर के भर्ती विनियम दिल्ली विकास प्राधिकरण 2005 (संशोधित) कहा जाएगा

(ii) ये विनियम दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इनके अनुमोदन की तिथि से प्रभावी होंगे ।

2. **निरर्हता:-** कोई भी ऐसा व्यक्ति

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लिया हो अथवा विवाह करने का अनुबंध किया हो जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित हो, अथवा

(ख) जिसने अपनी पत्नी/पति के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर लिया हो अथवा विवाह करने का अनुबंध किया हो,

उक्त किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

बशर्ते कि केन्द्र सरकार यदि इस बात से संतुष्ट हो जाए कि यह विवाह उस व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि (पर्सनल लॉ) के अन्तर्गत अनुमेय है और ऐसा करने के अन्य कारण हैं, तो वह उस व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकता है ।

3. शिथिल करने की शक्ति :-

जब अध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह लिखित रूप में कारण रिकार्ड करके किसी वर्ग अथवा व्यक्तियों की श्रेणी या पद के संबंध में इन विनियमों के किसी भी उपबंध को आदेश द्वारा शिथिल कर सकती है ।

4. बचाव :-

इन विनियमों में ऐसा कुछ नहीं है, जिससे केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों को मिलने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े ।

अनुसूची

दिल्ली विकास प्राधिकरण में आशुलिपिक के पद हेतु भर्ती विनियम

1.	पद का नाम .	आशुलिपिक
2.	पदों की संख्या	153 (समय-समय पर परिवर्तनीय)
3.	वर्गीकरण	समूह 'ग'
4.	वेतनमान	4000-100-6000/- रू.
5.	क्या चयन पद है अथवा अचयन पद है	: अचयन
6.(क)	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	: 18 से 30वर्ष
(ख)	क्या सी.सी.एस.(पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत सेवा के किसी वर्ष को जोड़ने का लाभ अनुमेय है	: लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएं	(1) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से सीनियर सैकेण्ड्री प्रमाण पत्र अथवा समकक्ष । (2) आशुलिपि एवं टंकण में दक्षता तथा आशुलिपि में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट एवं टंकण में 40शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए । वांछनीय:- किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कार्यालय प्रबंध और सचिवालय पद्धति में डिप्लोमा प्राप्त व्यक्तियों को वरीयता दी जाएगी ।

8.	पदोन्नति एवं प्रतिनियुक्ति व्यक्तियों के मामले में क्या सीधी भर्ती हेतु निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक योग्यताएं लागू होंगी	: लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	: 2 (दो) वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा स्थानान्तरण द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता द्वारा	: सीधी भर्ती द्वारा
11.	पदोन्नति/स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा अथवा भर्ती के मामले में वह ग्रेड जिससे पदोन्नति/स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति की जानी है ।	: लागू नहीं
12.	यदि, विभागीय पदोन्नति समिति है तो इसका गठन क्या है	: समूह 'ग' अधिकारियों की कनिष्ठ स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति

1 निदेशक (कार्मिक)	अध्यक्ष
2 संयुक्त/उप मुख्य लेखा अधिकारी	सदस्य
3 संयुक्त/उप निदेशक (कार्मिक)-3	: सदस्य
4 अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रतिनिधि	: सदस्य जो उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. द्वारा मनोनीत किया जाएगा
5 संयुक्त/उप निदेशक (गोपनीय)	सदस्य सचिव

<u>दिल्ली विकास प्राधिकरण में वरिष्ठ आशुलिपिक के पद हेतु भर्ती विनियम</u>

1.	पद का नाम	: वरिष्ठ आशुलिपिक
2.	पदों की संख्या	: 274 (समय समय पर परिवर्तनीय)
3.	वर्गीकरण	: समूह 'ग'
4.	वेतनमान	5500-175-9000/-रु
5.	क्या चयन पद है अथवा अचयन पद है	: चयन

6. (क)	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	लागू नहीं
(ख)	क्या सी.सी.एस.(पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत सेवा के किसी वर्ष को जोड़ने का लाभ अनुमेय है ।	: लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएं	: लागू नहीं
8.	पदोन्नति एवं प्रतिनियुक्ति व्यक्तियों के मामले में क्या सीधी भर्ती हेतु निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक योग्यताएं लागू होंगी	: लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	: 2 (दो) वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा स्थानान्तरण द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता द्वारा	: पदोन्नति द्वारा 1. 50% पदोन्नति द्वारा 2. 50% विभागीय परीक्षा द्वारा
11.	पदोन्नति/स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा अथवा भर्ती के मामले में वह ग्रेड जिससे पदोन्नति/स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति की जानी है ।	: 1. 5वर्ष की सेवा वाले आशुलिपिकों में से पदोन्नति द्वारा 50 2. 3वर्ष की सेवा वाले आशुलिपिकों में से विभागीय परीक्षा द्वारा 50%
12.	यदि, विभागीय पदोन्नति समिति है तो इसका गठन क्या है	: समूह 'ग' अधिकारियो की कनिष्ठ स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति: 1. निदेशक (कार्मिक) : अध्यक्ष 2. संयुक्त/उप मुख्य लेखा अधिकारी : सदस्य 3. संयुक्त/उप निदेशक (कार्मिक)-3 : सदस्य 4. अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रतिनिधि : सदस्य जो उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. द्वारा मनोर्न किया जाएगा 5. संयुक्त/उप निदेशक (गोपनीय) : सदस्य सचिव

3. संयुक्त/उप निदेशक (कार्मिक)-3	: सदस्य
4. अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रतिनिधि	: सदस्य उपाध्यक्ष दि.वि.प्रा. द्वारा मनोनीत किया जाएगा
5. संयुक्त/उप निदेशक [illegible]	सदस्य सचिव

[सं. एफ. -6(15)/2000/का.शा.-(I)]
बी. एम. बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
(Personnel Branch—III)
NOTIFICATION
New Delhi, the 8th December, 2005

G.S.R. 712(E).— In exercise of the powers conferred by Section 57 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) read with Rule (4) of the Delhi Development (Misc.) Rules, 1959, and in supersession of the Recruitment Regulations notified *vide* Notification No. 412 dated 23-9-2005, the Delhi Development Authority, with the previous approval of Central Government, hereby makes the following Regulations regulating the method of recruitment to the posts of Stenographers, Sr. Stenographers, LDC-cum-Typist (Hindi/English), Upper Division Clerk, Assistants, Welfare/Personnel Inspector, Manager (Sports), Assistant Manager (Sports), Games Supervisor and Games Attendant in the DDA.

1. Short title and commencement:-

(i) These Regulations as given in the schedule placed below may be called the "Recruitment Regulations of stenographers, Sr. Stenographers, LDC-cum-Typist (Hindi/English) Upper Division Clerks, Assistants, Welfare/Personnel Inspector, Manager (Sports), Assistant Manager (Sports), Game Supervisor, and Games Attendant, Delhi Development Authority 2005 (Revised).

(ii) These Regulations shall come into force with effect from the dates of their approval by the Delhi Development Authority.

2. Disqualification- No person

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person

shall be eligible for appointment to any of the said post.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

3. Power to relax:

Where the Chairman, Delhi Development Authority, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

4. Saving:

Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concession required to be provided for the Scheduled Casts, the Scheduled Tribes, the other Backward classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

RECRUITMENT REGULATION FOR THE POST OF STENOGRPHER IN DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

1.	Name of the Post	: STENOGRAPHER
2.	No. of Posts	: 153(subject to variation from time to time)
3.	Classification	: Group 'C'
4.	Scale of Pay	: Rs.4000-100-6000/-
5.	Whether selection post or non-selection post	: Non- Selection
6.	a)Age limit for direct recruits	: 18-30 years
	b)Whether benefit of any added years of service admissible under Rule 30 of CCS (Pension Rules,1972	: Not applicable
7.	Educational and other qualifications	i) Senior Secondary certificates or equivalent required for direct recruits. from a recognized Board/University ii) Proficiency in shorthand and typing, having at least a speed of 80 w.p.m. in shorthand and 40 w.p.m. in typing. Desirable Preference to be given to such persons who have acquired diploma in office Management & Secretarial Practice from any recognized institution.

8. Whether age & qualification prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees and deputationists.	:	NA
9. Period of probation, if any	:	2(Two) years.
10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or transfer or by deputation and percentage of vacancies to be filled by various methods.	:	Through Direct Recruitment.
11. In case of recruitment by promotion/ transfer/deputation, grades from which promotion/transfer/deputation is to be made.	:	NA
12. If a DPC exists what is its composition:		Junior Level DPC for Group 'C' Officers 1. Director (P) : Chairman 2. Jt./Dy.CAO : Member 3. JD/DD(P)3 : Member 4. Representative of SC/ST : Member to be Nominated by VC,DDA 5. JD/DD(CR) : Member Secretary

RECRUITMENT RGULATIONS FOR THE POST OF SENIOR STENOGRAPHER IN DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

1. Name of Post	:	SENIOR STENOGRPHER
2. Number of post	:	274 (subject to variation from time to time).
3. Classification	:	Group 'C'
4. Scale of pay	:	Rs.5500-175-9000/-
5. Whether selection or non-selection post.	:	Selection
6. a) Age limit for direct recruits	:	Not applicable
b) Whether benefit of added years of service admissible under Rule-30 of CCS(Pension)Rules, 1972.	:	Not applicable
7. Education and other qualifications required for direct recruits.	:	Not applicable

8. Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees and deputationists.	:	Not applicable
9. Period of probation, if any.	:	2 years
10. Method of recruitments, whether by direct recruitment or by promotion or transfer or by deputation & percentage of vacancies to be filled by various methods.	:	By promotion i) 50% by promotion ii) 50% through departmental Examination
11. In case of recruitment by promotion/transfer/deputation, grades from which promotion/transfer on deputation is to be made.	:	i) 50% by way of promotion from Stenographers with 5 years of service. ii) 50% through departmental examination from Stenographers with 3 years of service.
12. If a DPC exists what is its composition	:	Junior Level DPC for Group 'C' Officers 1. Director(P) : Chairman 2. Jt./Dy.CAO : Member 3. JD/DD(P)3 : Member 4. Representative of SC/ST : Member to be Nominated by VC ,DDA 5. JD/DD(CR) : Member-Secretary

<u>RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF LDC(ENGLISH) IN DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY</u>

1. Name of the Post	:	**LDC-cum-Typist (English/Hindi)**
2. Number of posts	:	1254 (subject to variation from time to time
3. Classification	:	Group 'C'.
4. Scale of pay	:	Rs.3050-75-3950-80-4590/-
5. Whether selection or non-selection post	:	Non-selection:
6. a) Age limit for direct recruits	:	18-25 years(relaxable for Govt.employees and employees of the DDA up to 35 years in accordance with the instructions issued by Govt. of India.

RECRUITMENT REGULATION FOR THE POST OF UPPER DIVISION CLERK IN DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY.

1. Name of the post	:	**UPPER DIVISION CLERK**
2. No. of posts	:	1253 (subject to variation from time to time).
3. Classification	:	Group 'C
4. Scale of pay	:	Rs.4000-100-6000/-
5. Whether selection post or non-selection post.	:	Non-Selection
6.a) Age limit for direct recruitment.	:	Not applicable
b) Whether benefit of any added years of service admissible under Rule-30 of CCS(Pension) Rules, 1972.	:	Not applicable
7. Educational and other qualifications required for direct recruits.	:	Not applicable
8. Whether age and educational qualifi-ations prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees and deputationists.	:	Not applicable
9. Period of probation, if any.	:	Two years
10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or transfer or by deputation and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	:	By promotion. i) 75% by promotion ii) 25% by departmental exam.
11. In case of recruitment by promotion/ transfer/deputation , grades from which promotion/transfer/deputation is to be made.	:	i) 75% by way of promotion from LDCs with 8 years of service. ii) 25% through departmental examination from LDCs with 5 years service.

12. If a DPC exists what is its composition: Junior Level DPC for Group 'C' Officers

1. Director(P)	:	Chairman
2. Jt./Dy.CAO	:	Member
3. JD/DD(P)3	:	Member
4. Representative of SC/ST	:	Member to be Nominated by VC,DDA
5. JD/DD(CR)	:	Member-secretary

3530 GI-4